	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/6/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। अतः दैनिक कार्यवाही पत्रावली दिनांक 2/7/25 को पत्रावली पेश हो।	
2/7/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक- 10/7/25 को पेश हो।	
10/7/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक- 7/8/25 को पेश हो।	
7/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/8/25 को पेश हो।	
14/8/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक- 28/8/25 को पेश हो।	
28/8/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 113 वाके ग्राम सहसपुरिया पटवार मण्डल सहसपुरिया में स्थित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमियों को विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे है व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है, प्रार्थी ने अप्रार्थी को बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा बंटवारा करवाने से मना कर दिया। अप्रार्थी बाहुबली है जो प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में आये दिन दखलदांजी करता है। हमारा कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ है, यदि ऐसा कोई	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	समझौता हुआ होता तो कोई दस्तावेज होता इनको उस समय ही पंजीयन/अन्य कार्यवाही करनी चाहिए थी। वह क्यों नहीं करवाई गई। प्रार्थी के हिस्से की 1/2 भूमि पर दखलदांजी नहीं करने हेतु अप्रार्थी को पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता जगन्नाथ की थी, जिनसे हमें प्राप्त हुई है। हमारे पिता के समय हुए पारिवारिक समझौते के अनुसार विवादित भूमि हमारे हिस्से में है जिसको अप्रार्थी द्वारा हमारे नाम नहीं करवाया गया है। उक्त पारिवारिक समझौता मौखिक रूप से हुआ था, जिसके कोई दस्तावेज नहीं है। मौके पर प्रार्थी का कई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे का निर्धारण साक्ष्य के दौरान निर्धारण होना है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 233 के खसरा नम्बरान 113 कुल किता 1 कुल रकबा 2.6871 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया प0म0 सहसपुरिया में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :- <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :- विवादित भूमि खाता संख्या 233 के खसरा नम्बरान 113 कुल किता 1 कुल रकबा 2.6871 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया प0म0 सहसपुरिया में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने व अन्य उपयोग उपभोग करने का प्रार्थी को हक व अधिकार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। <u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :- विवादित भूमि खाता संख्या 233 के खसरा नम्बरान 113 कुल किता 1 कुल रकबा 2.6871 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया प0म0 सहसपुरिया में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने व अन्य उपयोग उपभोग करने का प्रार्थी को हक व अधिकार होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बन रहा है।	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

अहद हुक्म में जा	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>अपूर्णीय क्षति की संभावना</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 233 के खसरा नम्बरान 113 कुल किता 1 कुल रकबा 2.6871 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया प0म0 सहसपुरिया में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा, प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने व अन्य उपयोग उपभोग करने में दखलदांजी करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 233 के खसरा नम्बरान 113 रकबा 2.6871 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया प0म0 सहसपुरिया में निहित प्रार्थी के 1/2 हिस्से की भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	